Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बांसवाड़ा में विकास अधिकारी 80 हजार रुपये रिश्वत के रूप में लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *19 अक्टूबर, गुरूवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बांसवाड़ा इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये पुरणमल मीणा विकास अधिकारी पंचायत समिति तलवाड़ा, जिला बांसवाड़ा को परिवादी से **80 हजार रुपये** रिश्वत के रूप में लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक (अतिरिक्त चार्ज) श्री हेमन्त प्रियदर्शी ने बताया कि ए.सी.बी. की बांसवाड़ा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि ग्राम पंचायत कूपड़ा के विभागीय निरीक्षण के दौरान स्वीकृत कार्यों यू.सी./सी.सी. में कमियाँ बताकर उक्त कार्यों के बकाया भुगतान राशि लगभग 1 करोड़ 50 लाख की राशि के भुगतान की एवज में स्वयं के दो प्रतिशत कमीशन के हिसाब से पुरणमल मीणा विकास अधिकारी पंचायत समिति तलवाड़ा, जिला बांसवाड़ा द्वारा **3 लाख रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है। कमीशन नहीं देने पर निरीक्षण में कमियाँ बताकर परिवादी को निलम्बित करने एवं विभागीय कार्यवाही करने की अनुशंसा की धमकी भी आरोपी विकास अधिकारी द्वारा दी जा रही है।

जिस पर एसीबी, उदयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के निर्देशन में एसीबी की बांसवाड़ा इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजीव जोशी** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम ट्रेप कार्यवाही करते हुये पुरणमल मीणा पुत्र श्री रामखिलाड़ी मीणा निवासी मकान नं0 247, मालवीया नगर, पुलिस थाना कोतवाली, जिला अलवर हाल विकास अधिकारी पंचायत समिति तलवाड़ा, जिला बांसवाड़ा को परिवादी से **80 हजार रुपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी विकास अधिकारी द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान भी परिवादी से **70 हजार रुपये** की रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक, श्री हेमन्त प्रियदर्शी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल-फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135-02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।